भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 411

04 फरवरी, 2020 को उत्तरार्थ

विषय: फसलों का विविधीकरण

411. श्री बृजेन्द्र सिंहः

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विशेषकर धान-गेहूं फसल चक्र की बहुलता वाले क्षेत्रों में फसलों के विविधीकरण के लिए क्या कदम उठाए जा रहे है;

(ख) विगत पांच वर्षों में इस पर राज्य-वार कितना बजट आबंटन और व्यय किया गया है; और

(ग) फसल विविधीकरण की स्थिति, विशेषकर किसानों को धान और गन्ने जैसी अधिक पानी का उपयोग करने वाली फसलों का विकल्प देने वाली फसलों की स्थिति क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेंद्र सिंह तोमर)

(क) कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग (डीएसीएंडएफडब्ल्यू) मूल हरित क्रांति वाले राज्यों अर्थात पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वर्ष 2013-14 से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) की एक उप-स्कीम के रूप में फसल विविधीकरण कार्यक्रम (सीडीपी) का कार्यान्वयन कर रहा है ताकि अधिक जल खपत वाली धान की फसल वाले क्षेत्रों में वैकल्पिक फसल के रूप में दलहन, तिलहन, मोटे अनाज, पोषक अनाज, कपास एवं कृषि वानिकी की खेती की जा सके। फसल विविधीकरण कार्यक्रम के तहत 4 प्रमुख क्रियाकलापों अर्थात वैकल्पिक फसल प्रदर्शन, कृषि यंत्रीकरण एवं मूल्यवर्धन, स्थल विशिष्ट गतिविधियां और जागरूकता, प्रशिक्षण, निगरानी के आकस्मिता आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(ख) पिछले 5 वर्षों के दौरान सीडीपी के तहत केन्द्रीय हिस्से की जारी निधि/व्यय का राज्य-वार आबंटन विवरण (केन्द्रीय अंश) निम्न तालिका में दिया है:-

क्रम संख्या	राज्य	वर्ष	बजट आबंटन (बजट अनुमान) (केन्द्रीय शेयर)	व्यय /केन्द्रीय शेयर की निर्मुक्ति
1.	पंजाब	2015-16	75.00	37.50
		2016-17	79.47	6.79
		2017-18	17.66	0.00
		2018-19	7.06	3.53
		2019-20	7.06	-
2.	हरियाणा	2015-16	49.75	49.75
		2016-17	33.94	16.97
		2017-18	7.55	7.55
		2018-19	3.02	1.51
		2019-20	3.02	-
3.	पूर्वी उत्तर प्रदेश	2015-16	0.00	0.00
		2016-17	36.09	30.77
		2017-18	8.02	5.68
		2018-19	3.21	3.21
		2019-20	3.21	1.61

(ग) फसल विविधीकरण कार्यक्रम 2019-20 में कार्यान्वित किया जा रहा है। भारत सरकार आरकेवीवाई के तहत राज्य विशिष्ट आवश्यकताओं/प्राथमिकताओं के अनुसार कार्यक्रम संचालित करने के लिए राज्यों को छूट प्रदान करती है। राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय संस्वीकृति समिति (एसएलएससी) के अनुमोदन से राज्य आरकेवीवाई के तहत धान एवं गन्ने की फसलों के विविधीकरण सहित फसल विविधीकरण को बढ़ावा दे सकते हैं।

हरियाणा राज्य सरकार ने वर्ष 2019-20 के दौरान राज्य के 7 जिलों में धान के स्थान पर मक्का एवं अन्य फसलों को उगाने के लिए अपनी एक प्रायोगिक स्कीम आरंभ की है।

*****